न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 29 / 2024
GCMS NO:- 2024/309

दायर दिनांकः 26.12.2024
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामदेव आ0 गोपी जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा ग्रा0 प0 मरां तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थी

बनाम

1. देवलाल आ0 ग्यारसीलाल जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा ग्रा0प0 मरां तहसील नैनवॉ।
2. प्यारी पुत्री छोटू पत्नी शोजी जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा ग्रा0प0 मरां तहसील नैनवॉ।
3. बदाम पुत्री छोटू पत्नी राजू जाति गुर्जर नि0 भामर पोस्ट गुढासदावर्तिया तहसील नैनवॉ।
4. शोजी आ0 भोलू जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा ग्रा0प0 मरां तहसील नैनवॉ।
5. महावीर आ0 छोटॅ जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा ग्रा0प0 मरां तहसील नैनवॉ।
6. मोडी पत्नी छोटू जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा ग्रा0प0 मरां तहसील नैनवॉ।
7. गेन्दीलाल आ0 प्रभू जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा ग्रा0प0 मरां तहसील नैनवॉ।
8. चडीबाई पुत्री प्रभू पत्नी महावीर जाति गुर्जर नि0 फतेहपुरा ग्रा0प0 मरां तहसील नैनवॉ।
9. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम नागर।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहपुरा मे खसरा नम्बर 37, 39, 40 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9142 हैक्टयर व खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0405 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसे आगे प्रार्थना पत्र मे विवादित भूमि के नाम से जाना जावेगा। उक्त भूमियां प्रार्थी की खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमियां है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर आने जाने का अभिन्न रास्ता ग्राम फतेहपुरा से भामर होकर बांसी होकर पक्की सडक से पश्चिम दिशा से फटकर खसरा नम्बर 114 व खसरा नम्बर 502/40 व 41 के बीच की मेर पर होकर खसरा नम्बर 37, 38, 39 व 40 मे पहुंचता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर मकान बना रखा है व कुआं खुदा रखा है तथा जानवरों व परिवार के साथ निवास करता है। प्रार्थी के कुएं व मकान पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित रास्ता 12 फीट है जो सकडा हो गया है जिसको 15 फीट करने की आवश्यकता है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे तरमीम नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 प्रार्थी को तंग व परेशान करते है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी का अपनी भूमि पर आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है, प्रार्थी उक्त रास्ते के काम आने वाली भूमि का नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 9 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/76 दिनांक 30.06.2025 से प्राप्त हो चुकी है।

बहस एकपक्षीय प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम फतेहपुरा स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बरान 37, 38, 39 व 40 पर जाने के लिए ग्राम फतेहपुरा से भामर होकर बांसी होकर पक्की सडक से पश्चिम दिशा से फटकर खसरा नम्बर 114 व खसरा नम्बर 502/40 व 41 के बीच की मेर पर होकर खसरा नम्बर 37, 38, 39 व 40 मे पहुंचता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है, के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जावे। साथ ही निवेदन किया कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 30.6.2025 के अनुसार यदि प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो हमे कोई आपत्ती नही होगी।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी एकपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बरान 37, 38, 39 व 40 पर जाने के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 30.6.2025 अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 30.6.2025 के अनुसार ग्राम फतेहपुरा स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 37, 38, 39 व 40 पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 114 मे से एवं खसरा नम्बरान 502/40 व 41 की मेर पर से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट **क** नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	X	चौडाई	क्षेत्रफल
114	सिवायचक (सरकारी)	बा.4	435.6 फीट	X	15 फीट	6534 वर्गफीट **अर्थात 0.0607 हैक्टयर**
502/40	गेन्दीलाल वगै0 (खातेदारी)	बा.4	184.8 फीट	X	7.5 फीट	1386 वर्गफीट **अर्थात 0.0126 हैक्टयर**
41	देवलाल आदि (खातेदारी)	बा.4	192.3 फीट	X	7.5 फीट	1442.25 वर्गफीट **अर्थात 0.0134 हैक्टयर**

कुल क्षेत्रफल = 9362.25 वर्गफीट या 0.0867 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा

अतिक्रमण ट्रेस

गाँव - कटेधुरा

जिला - बून्दी तहसील नैनवाँ

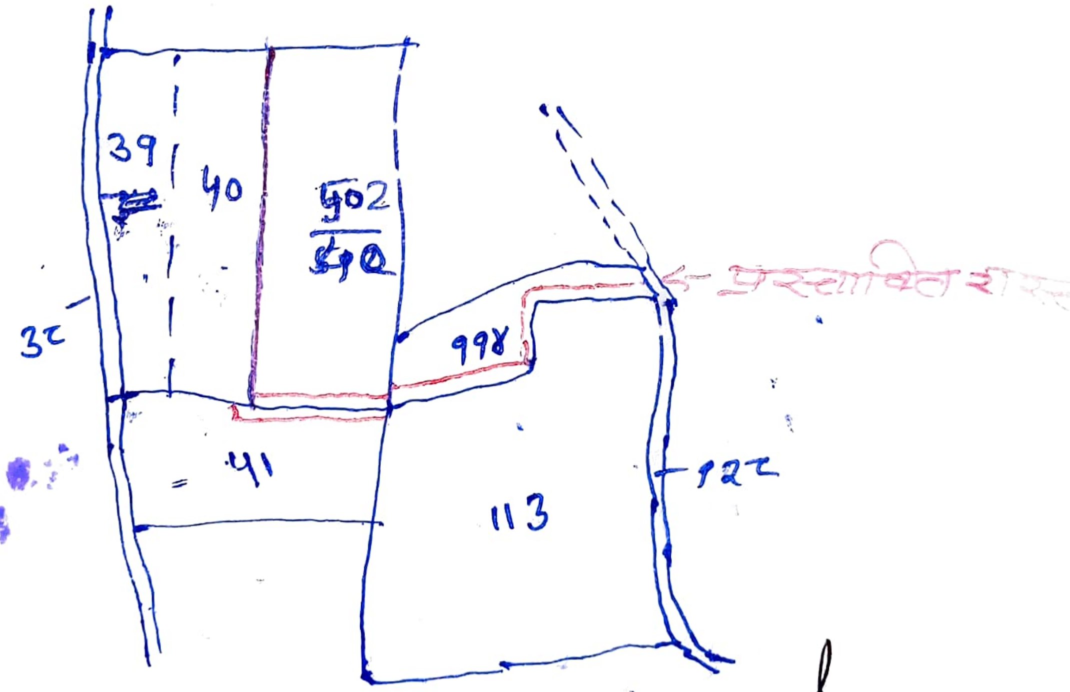

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

26/6/25

पटवारी
पटवार मण्डल ......
तहसील ......